


राजस्थान आवासन मण्डल:जयपुर ।  
=====

क्रमंक:-पा.सू.कार्मिक/निर्णय.104/2673

दिनांक:- 6/1/05


कार्यालय-आदेश  
=====

राजस्थान आवासन मण्डल की बोर्ड बैठक संख्या 196 दिनांक 17.12.2004 के बिन्दू संख्या 8 पर लिये गये निर्णय की अनुपालना मे प्राकृतिक चिकित्सालय ,बापू नगर ,जयपुर को राजस्थान छाउकिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 केअन्तर्गत बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों की चिकित्सा सुविधा मे विस्तार करते हुए स्तद द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों पर अधिकृत किया जाता है ।

  
सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- § 1 § प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मु.अभि. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
- § 2 § प्राकृतिक चिकित्सालय, बापू नगर, जयपुर ।
- § 3 § अति. मुख्य अभियंता, ..... राजOआOमण्डल.....
- § 4 § वरि. निजी सहायक-सचिव/वि. स. एवं मु. ले. अ. , राजOआOमण्डल, जयपुर ।
- § 5 § उप आवासन आयुक्त कृत.....
- § 6 § आवासीय अभियंता खण्ड.....
- § 7 § लेखाधिकारी. वित्त/भुगतान , राजOआवासन मण्डल, जयपुर ।
- § 8 § समस्त प्रकोष्ठ § मु. §/नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली 2

  
सचिव